

कार्यालय प्राचार्य शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज  
जिला —बलरामपुर—रामानुजगंज(छोगो)

Website – glspger.in Email – [cggslsc@gmail.com](mailto:cggslsc@gmail.com) Phone/Fax -07779-276361, 9406733091

वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2015–16  
महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय शा० लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति का गठन दिनांक 08.04.2015 को प्राचार्य श्री आर.एस.अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया जिसमें प्रो. एम. अनंत को संयोजक बनाया गया है तथा अन्य समिति के सदस्यों के रूप में प्रो. पी. जैन, प्रो. एस. के. खाण्डेकर, प्रो. ए. कुजूर एवं श्रीमती ज्योति केशरी शामिल हैं।

समिति के अनुसार महाविद्यालय प्रांगण के अन्दर किसी भी छात्र-छात्राओं के द्वारा किसी भी छात्रा को उत्पीड़न के संबंध में (रेगिंग, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं अन्य) इस तरह की किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल छात्र-छात्राओं की अपने शिकायत को सीधे समिति के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।

समिति के अनुसार जो भी छात्र-छात्रा अपने शिकायत को प्रत्यक्ष रूप से समिति के समक्ष रखने में असहज हो तो वो अपने शिकायत को शिकायत पेटी के माध्यम से समिति तक पहुंचा सकता है। जिसका निवारण 3 दिवस के अंदर करने का प्रावधान है।

सत्र 2015–16 में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकरण समिति के समक्ष अब तक नहीं आया है।



प्राचार्य  
शा० लरंगसाय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, रामानुजगंज  
जिला—बलरामपुर—रा.गज(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज

जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज(छ0ग0)

Website – [glspgcr.in](http://glspgcr.in) Email – [cggslsc@gmail.com](mailto:cggslsc@gmail.com) Phone/Fax -07779-276361,9406733091

वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2016-17

महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय शा० लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति का गठन दिनांक 10.07.2016 को प्राचार्य श्री आर.एस.अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया जिसमें प्रो. ए. कुजूर को संयोजक बनाया गया है तथा अन्य समिति के सदस्यों के रूप में प्रो. एस.के. खाण्डेकर, प्रो. एम. अनंत एवं श्रीमती ज्योति केशरी शामिल हैं।

समिति के अनुसार महाविद्यालय प्रांगण के अन्दर किसी भी छात्र-छात्राओं के द्वारा किसी भी छात्रा को उत्पीड़न के संबंध में (रैगिंग, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं अन्य) इस तरह की किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल छात्र-छात्राओं की अपने शिकायत को सीधे समिति के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।

समिति के अनुसार जो भी छात्र-छात्रा अपने शिकायत को प्रत्यक्ष रूप से समिति के समक्ष रखने में असहज हो तो अपने शिकायत को शिकायत पेटी के माध्यम से समिति तक पहुंचा सकता है। जिसका निवारण 3 दिवस के अंदर करने का प्रावधान है।

सत्र 2016-17 में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकरण समिति के समक्ष अब तक नहीं आया है।



प्राचार्य  
शा० लरंगसाय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय संमानुजगंज  
जिला -बलरामपुर-रामगंज(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज

जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज(छ0ग0)

Website – [glspgcr.in](http://glspgcr.in) Email – [cggpsc@gmail.com](mailto:cggpsc@gmail.com) Phone/Fax -07779-276361,9406733091

वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2017-18  
महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय शालरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति का गठन दिनांक 03/07/2017 को प्राचार्य श्री आर.एस.अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया जिसमें डॉ. श्री आर. बी. सोनवानी को संयोजक बनाया गया है तथा अन्य समिति के सदस्यों के रूप में श्री ए. कुजूर, श्री एस. के. धारी एवं श्री रमेश कुमार खैरवार शामिल हैं।

समिति के अनुसार महाविद्यालय प्रांगण के अन्दर किसी भी छात्र-छात्राओं के द्वारा किसी भी छात्रा को उत्पीड़न के संबंध में (रेगिंग, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं अन्य) इस तरह की किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल छात्र-छात्राओं की अपने शिकायत को सीधे समिति के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।

समिति के अनुसार जो भी छात्र-छात्रा अपने शिकायत को प्रत्यक्ष रूप से समिति के समक्ष रखने में असहज हो तो अपने शिकायत को शिकायत पेटी के माध्यम से समिति तक पहुंचा सकता है। जिसका निवारण 3 दिवस के अंदर करने का प्रावधान है।

सत्र 2017-18 में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकरण समिति के समक्ष अब तक नहीं आया है।



प्राचार्य  
शालरंगसाय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय रामानुजगंज  
जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज  
जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज(छ0ग0)

Website – glspgcr.in Email – [cggpsc@gmail.com](mailto:cggpsc@gmail.com) Phone/Fax -07779-276361,9406733091

**वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2018-19**  
**महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय शालरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति का गठन दिनांक 06/08/2018 को प्राचार्य श्री आर.एस.अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया जिसमें डॉ. श्री आर. बी. सोनवानी को संयोजक बनाया गया है तथा अन्य समिति के सदस्यों के रूप में श्री ए. कुजूर, श्री एस. के. धारी एवं श्री रमेश कुमार खैरवार शामिल हैं।

समिति के अनुसार महाविद्यालय प्रांगण के अन्दर किसी भी छात्र-छात्राओं के द्वारा किसी भी छात्रा को उत्पीड़न के संबंध में (रैगिंग, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं अन्य) इस तरह की किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल छात्र-छात्राओं की अपने शिकायत को सीधे समिति के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।

समिति के अनुसार जो भी छात्र-छात्रा अपने शिकायत को प्रत्यक्ष रूप से समिति के समक्ष रखने में असहज हो तो अपने शिकायत को शिकायत पेटी के माध्यम से समिति तक पहुंचा सकता है। जिसका निवारण 3 दिवस के अंदर करने का प्रावधान है।

सत्र 2018-19 में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकरण समिति के समक्ष अब तक नहीं आया है।



प्राचार्य  
शालरंगसाय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय रामानुजगंज  
जिला-बलरामपुर-से नं. (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज

जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज(छ0ग0)

Website – [glspgcr.in](http://glspgcr.in) Email – [cggpsc@gmail.com](mailto:cggpsc@gmail.com) Phone/Fax -07779-276361,9406733091

वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2019–20

महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय शालरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति का गठन दिनांक 07.11.2019 को प्राचार्य श्री आर.एस.अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया जिसमें डॉ. श्री आर. बी. सोनवानी को संयोजक बनाया गया है तथा अन्य समिति के सदस्यों के रूप में श्री ए. कुजूर, श्री एस. के. धारी एवं श्री रमेश कुमार खैरवार शामिल हैं।

समिति के अनुसार महाविद्यालय प्रांगण के अन्दर किसी भी छात्र—छात्राओं के द्वारा किसी भी छात्रा को उत्पीड़न के संबंध में (रैगिंग, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं अन्य) इस तरह की किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल छात्र—छात्राओं की अपने शिकायत को सीधे समिति के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।

समिति के अनुसार जो भी छात्र—छात्रा अपने शिकायत को प्रत्यक्ष रूप से समिति के समक्ष रखने में असहज हो तो अपने शिकायत को शिकायत पेटी के माध्यम से समिति तक पहुंचा सकता है। जिसका निवारण 3 दिवस के अंदर करने का प्रावधान है।

सत्र 2019–20 में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकरण समिति के समक्ष अब तक नहीं आया है।



प्राचार्य  
शालरंगसाय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय रामानुजगंज  
जिला—बलरामपुर—गोगज(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज  
जिला —बलरामपुर-रामानुजगंज(छ0ग0)

Website – glspgcr.in Email – [cgglsc@gmail.com](mailto:cgglsc@gmail.com) Phone/Fax -07779-276361,9406733091

वार्षिक रिपोर्ट सत्र 20-21  
महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय शालरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति का गठन दिनांक 07.11.2019 को प्राचार्य डॉ. आर. बी. सोनवानी की उपस्थिति में किया गया जिसमें प्रो. ए. कुज्जूर को संयोजक बनाया गया है तथा अन्य समिति के सदस्यों के रूप में कु. पूनम सांडिल्य, कु. रंजना रोहित, कु. प्रियंका दास, कु. सविता शामिल हैं।

समिति के अनुसार महाविद्यालय प्रांगण के अन्दर किसी भी छात्र-छात्राओं के द्वारा किसी भी छात्रा को उत्पीड़न के संबंध में (रेगिंग, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं अन्य) इस तरह की किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल छात्र-छात्राओं की अपने शिकायत को सीधे समिति के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।

समिति के अनुसार जो भी छात्र-छात्रा अपने शिकायत को प्रत्यक्ष रूप से समिति के समक्ष रखने में असहज हो तो अपने शिकायत को शिकायत पेटी के माध्यम से समिति तक पहुंचा सकता है। जिसका निवारण 3 दिवस के अंदर करने का प्रावधान है।

सत्र 2019-20 में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकरण समिति के समक्ष अब तक नहीं आया है।



प्राचार्य  
शालरंगसाय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय रामानुजगंज  
जिला—बलरामपुर-रा गज(छ.ग.)